

## कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

फाइल नं०- 09/उपा0बीज0अनु0-21/2017 6915 /कृ० पटना, दिनांक 21-11-2017

प्रेषक :

हिमांशु कुमार राय, भा० प्र० से०  
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में :

मेसर्स आईरिस एग्रो साईंस प्रा० लि०,  
वैधनाथपुर, सिमरिया, थाना, कोढा,  
जिला कटिहार

विषय : बीज बिक्री अनुज्ञप्ति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

आपसे प्राप्त प्रपत्र-ए,कोषागार चालान, स्थल जाँच प्रतिवेदन एवं अन्य सुसंगत कागजातों के आधार पर बिहार राज्य में बीज बेचने के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन क्रमांक-7 के लिए पंजीकरण किया जाता है:-

1. बीज अधिनियम 1966 के सभी धाराओं को आप पूरा-पूरा पालन करेंगे।
2. बीज बिक्री एवं भंडारण का प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में कृषि निदेशालय को हर माह के 20 तारीख तक भेजें। निर्धारित समय पर प्रतिवेदन नहीं प्राप्त होने पर पंजीकरण रद्द कर दिया जायेगा।
3. बीज नियंत्रण आदेश 1983 के अंतर्गत घोषित बीज समय-समय पर बीज नमूना जाँच के लिए लेंगे।
4. हर बिक्री के लिए अलग पंजीकरण कर दें। बिक्री केन्द्रों की संख्या में यदि वृद्धि करें तो उसकी सूचना क्षेत्रीय कृषि पदाधिकारी को देते हुए उसकी पंजीकरण के लिए 15 दिनों के अंदर आवेदन पत्र दें अन्यथा अवैध ढंग से व्यापार करने पर पंजीकरण रद्द कर दिया जायेगा।
5. बीज बिक्री हेतु बीज विक्रेता नियुक्त कर सकते हैं।
6. पंजीकरण प्रमाण पत्र संख्या...70/2017...संलग्न है।
7. राज्य के लिए केवल अनुशंसित/अधिसूचित बीज का ही व्यापार संलग्न सूची के अनुसार करेंगे।
8. पंजीकरण की वैधता तिथि...20-11-2020...तक मान्य है।
9. कृषि निदेशालय के ज्ञापांक-2408 दिनांक 09.06.2017 से राज्य में रिसर्च फसल प्रभेदों की बिक्री प्रतिबंधित की गई है जिसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

अनुलग्नक :-बीज की सूची संलग्न।

विश्वासभाजन,

(हिमांशु कुमार राय)  
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :- 6915

/कृ०, पटना, दिनांक 21-11-2017

प्रतिलिपि:- 1. संयुक्त निदेशक (शष्य) उपादान/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/उप निदेशक (शष्य) बीज/ उप निदेशक (शष्य) मुख्यालय/उप निदेशक (शष्य) फसल/उप निदेशक (शष्य) तेलहन/उप निदेशक (शष्य) बीज विश्लेषण/उप निदेशक (शष्य) बीज निरीक्षण, बिहार, पटना/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/सभी सहायक निदेशक, उद्यान (कृषि स्नातक)/ सभी बीज निरीक्षक को सूचनार्थ प्रेषित।

2. आई०२टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड एवं ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

मेसर्स आईरिस एग्रो साईंस प्रा० लि०, कटिहार द्वारा राज्य में व्यवसाय किये जाने वाले बीजों की सूची :-

पत्रांक: 6915

दिनांक: 21/11/2017

LIST OF SEED

SR.NO.	CROP NAME	VARIETIES
1	Wheat	Wheat-304, 305, 306
2	Corn	Sakti-25, 101, 22, 966, 3356
3	Paddy	Aruna, Bhagya, Sona, Amruth, Shakti-115, 125, 130, 135
4	Peas	Swetha
5	Sunflower	Aaditya
6	Mustard	Soumya, Sandya
7	Pulse Urd	Sudhama
8	Arhar	Pawan
9	Masoor	Malik
10	Chana	Prgna
11	Fodder SSG	Lal-Moti
12	Fodder Multicut	Safad-Moti
13	Soyabean	Pari

- कृषि निदेशालय के ज्ञापांक-2408 दिनांक 09.06.2017 से राज्य में रिसर्च फसल प्रभेदों की बिक्री प्रतिबंधित की गई है जिसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2/11/17  
Ramesh

*Ramesh*  
21-11-17  
(हिमांशु कुमार राय)  
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।



FORM 'B'  
(See Clause 5)

LICENCE TO CARRY ON BUSINESS OF A DEALER IN SEEDS

Licence No. 70/20/7 Date 21/11/2017

Subject to the provisions of seed (Control) Order, 1983 and to the terms and conditions of the licence Sri मेसर्स आईरिस एगो साईस प्रा० लि०, is hereby granted licence to sell, export, import and store for the said purposes of seeds.

2. The licensee shall carry on the afore-said business at वैधनाथपुर, सीमरिया, थाना-कोढ़ा, जिला-कटिहार the details of boundary of places for storage and sale appear below.

Place of Storage	Place of Sale
मेसर्स आईरिस एगो साईस प्रा० लि०, वैधनाथपुर, सीमरिया, थाना-कोढ़ा, जिला-कटिहार, खाता सं०-1389, खेसरा सं०-2662, 2663, 2664, 2665, 2667	मेसर्स आईरिस एगो साईस प्रा० लि०, वैधनाथपुर, सीमरिया, थाना-कोढ़ा, जिला-कटिहार, खाता सं०-1389, खेसरा सं०-2662, 2663, 2664, 2665, 2667
उत्तर - नीज लेख्यकारी	उत्तर - नीज लेख्यकारी
दक्षिण - सड़क,	दक्षिण - सड़क,
पूरब - आईएस अली,	पूरब - आईएस अली,
पश्चिम - कसुम उद्दीन,	पश्चिम - कसुम उद्दीन,

Date: 16.09/347/977/2017-6915  
Seal: 21-11-2017

*A. Puro*  
21/11/17  
Licensing Authority  
Director of Agriculture  
Bihar, Patna

TERMS AND CONDITIONS OF LICENCE

1. The licence shall be displayed at a prominent and conspicuous place in a part of the business premises open to the public.
2. The holder of the licence shall comply with the provisions of the seed (Control) order, 1983 and the notifications issued there under and for the time being in force.
3. This licence comes into force with immediate effect and shall be valid upto (21-11-2017 to 20-11-2020) Unless previously cancelled or suspended. (twenty November two thousand twenty)
4. The holder of the licence shall from time to time report to the licensing authority and change in the premises where he carries on his business of sale, export, import or storage for the said purposes seeds.
5. The licence shall give every facility to the licensing authority or any other officer acting under his authority for the purpose of inspecting his stock in any shop, depot or godown or other place/places used by in him for the purpose of storage. Sale or export of seed.
6. Separate licence should be obtain if business is carried more than one place (For each place separately).

2421  
*21/11/17*